

अत्यावश्यक
ई-मेल/फैक्स

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बिहार।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

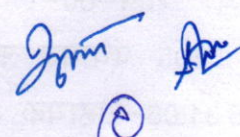
पटना, दिनांक 08/05/2020

विषय : विभागीय राज्यादेश संख्या 06(स्वी०) दिनांक 04.05.2020 द्वारा स्वीकृत कुल ₹1,15,49,00,000.00 (एक अरब पन्द्रह करोड़ उनचास लाख रुपये) मात्र राशि के विरुद्ध कुल ₹1,14,45,96,180.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख छियानवें हजार एक सौ अस्सी रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या 06(स्वी०) दिनांक 04.05.2020 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सदस्य)/जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रमुख/उप-प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच को वित्तीय वर्ष 2020-21 में समेकित नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को ₹2,16,00,000.00 (दो करोड़ सोलह लाख रुपये) मात्र, पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख तथा सदस्यों को ₹11,13,00,000.00 (ग्यारह करोड़ तेरह लाख रुपये) मात्र, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया तथा सदस्यों का ₹51,10,00,000.00 (इक्यावन करोड़ दस लाख रुपये) मात्र, तथा ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच, तथा सदस्यों (पंचों) को ₹51,10,00,000.00 (इक्यावन करोड़ दस लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल ₹1,15,49,00,000.00 (एक अरब पन्द्रह करोड़ उनचास लाख रुपये) मात्र का स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नियत भत्ता की राशि की निकासी हेतु इस आवंटनादेश के साथ संलग्न विवरणी-I के अनुसार जिला परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹2,13,46,980.00 (दो करोड़ तेरह लाख छियालीस हजार नौ सौ अस्सी रुपये) मात्र, विवरणी-II के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख, उप-प्रमुख एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹11,13,00,000.00 (ग्यारह करोड़ तेरह लाख रुपये) मात्र, विवरणी-III के अनुसार ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹51,10,00,000.00 (इक्यावन करोड़ दस लाख रुपये) मात्र एवं



महामातृ - - -

विवरणी-IV के अनुसार ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच एवं सदस्यों हेतु जिलावार ₹51,10,00,000.00 (इक्यावन करोड़ दस लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल मिलाकर ₹1,14,45,96,180.00 (एक अरब चौदह करोड़ पैंतालीस लाख छियानवें हजार एक सौ अस्सी रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं ग्राम कचहरी के पदधारकों एवं प्रतिनिधियों हेतु आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का व्यय एवं उपयोग राज्यादेश संख्या 06(स्वी०) दिनांक 04.05.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।

4. इस आवंटित राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए तथा विगत वर्षों के बकाया भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित दर से किया जायेगा।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 383 दिनांक 20.03.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2020-21 के मांग संख्या-16 के अन्तर्गत राज्य स्कीम में उपबंधित निम्नांकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी :-

जिला परिषदों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001960106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0106-जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890106 है।

पंचायत समितियों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0103-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001970103 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0105-पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890105 है।

 **लगावट ---**

ग्राम पंचायतों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0105-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0105.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001980105 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0103-ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0103.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890103 है।

ग्राम कचहरियों के लिए -

(क) सामान्य घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-उपशीर्ष-0106-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0106.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515001980106 है।

(ख) अनुसूचित जाति विशेष घटक:- "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु।" इसका विषय शीर्ष 0104.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन एवं विपत्र कोड 16-2515007890104 है।

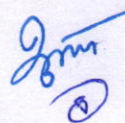
7. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

11. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।



लगावाट - -

12. इस आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
13. इस आवंटन आदेश तथा इसके साथ विवरणी के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
14. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017 के पृष्ठ संख्या 7.7./टि० पर दिनांक 06/05/2020 को प्राप्त है।
15. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/15(आ०) पं०रा० पटना, दिनांक 08/05/2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रशाखा 08, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-12/2017/15(आ०) पं०रा० पटना, दिनांक 08/05/2020
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

कृष्ण

विवरणी-I

वित्तीय वर्ष 2020-21 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जिला परिषद (जिला परिषद अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001960106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1	बक्सर	333660.00	68340.00	402000.00	(चार लाख दो हजार रुपये) मात्र
2	रोहतास	495510.00	101490.00	597000.00	(पाँच लाख सनतानवें हजार रुपये) मात्र
3	भोजपुर	470610.00	96390.00	567000.00	(पाँच लाख सरसठ हजार रुपये) मात्र
4	नालन्दा	507960.00	104040.00	612000.00	(छ: लाख बारह हजार रुपये) मात्र
5	पटना	873380.00	212620.00	1086000.00	(दस लाख छियासी हजार रुपये) मात्र
6	कैमूर	321210.00	65790.00	387000.00	(तीन लाख सतासी हजार रुपये) मात्र
7	गया	657360.00	134640.00	792000.00	(सात लाख बेरानवें हजार रुपये) मात्र
8	नवादा	395910.00	81090.00	477000.00	(चार लाख सतहतर हजार रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	433260.00	88740.00	522000.00	(पाँच लाख बाइस हजार रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	246510.00	50490.00	297000.00	(दो लाख सनतानवें हजार रुपये) मात्र
11	अरवल	196710.00	40290.00	237000.00	(दो लाख सैतीस हजार रुपये) मात्र
12	सारण	669810.00	137190.00	807000.00	(आठ लाख सात हजार रुपये) मात्र
13	सिवान	595110.00	121890.00	717000.00	(सात लाख सतरह हजार रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	463060.00	98940.00	582000.00	(पाँच लाख बेरासी हजार रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	756960.00	155040.00	912000.00	(नौ लाख बारह हजार रुपये) मात्र
16	वैशाली	595110.00	121890.00	717000.00	(सात लाख सतरह हजार रुपये) मात्र

क्र०	जिला	जिला परिषदों के लिए		कुल राशि (रूपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001960106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
17	पू० चम्पारण	794310.00	162690.00	957000.00	(नौ लाख सनतावन हजार रूपये) मात्र
18	प० चम्पारण	607560.00	124440.00	732000.00	(सात लाख बत्तीस हजार रूपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	557760.00	114240.00	672000.00	(छः लाख बहत्तर हजार रूपये) मात्र
20	शिवहर	171810.00	35190.00	207000.00	(दो लाख सात हजार रूपये) मात्र
21	भागलपुर	470610.00	96390.00	567000.00	(पाँच लाख सरसठ हजार रूपये) मात्र
22	बांका	395910.00	81090.00	477000.00	(चार लाख सतहतर हजार रूपये) मात्र
23	मधुबनी	781860.00	160140.00	942000.00	(नौ लाख बेआलीस हजार रूपये) मात्र
24	समस्तीपुर	719610.00	147390.00	867000.00	(आठ लाख सरसठ हजार रूपये) मात्र
25	दरभंगा	669810.00	137190.00	807000.00	(आठ लाख सात हजार रूपये) मात्र
26	सहरसा	346110.00	70890.00	417000.00	(चार लाख सतरह हजार रूपये) मात्र
27	मधेपुरा	371010.00	75990.00	447000.00	(चार लाख सैतालीस हजार रूपये) मात्र
28	सुपौल	395910.00	81090.00	477000.00	(चार लाख सतहतर हजार रूपये) मात्र
29	पूर्णियाँ	507960.00	104040.00	612000.00	(छः लाख बारह हजार रूपये) मात्र
30	अररिया	458160.00	93840.00	552000.00	(पाँच लाख बाबन हजार रूपये) मात्र
31	किशनगंज	308760.00	63240.00	372000.00	(तीन लाख बहतर हजार रूपये) मात्र
32	कटिहार	495510.00	101490.00	597000.00	(पाँच लाख सनतानवें हजार रूपये) मात्र
33	मुंगेर	258960.00	53040.00	312000.00	(तीन लाख बारह हजार रूपये) मात्र
34	जमुई	333660.00	68340.00	402000.00	(चार लाख दो हजार रूपये) मात्र
35	बेगुसराय	520410.00	69590.00	590000.00	(पाँच लाख नब्बे हजार रूपये) मात्र
36	खगड़िया	308760.00	63240.00	372000.00	(तीन लाख बहतर हजार रूपये) मात्र
37	लखीसराय	221610.00	45390.00	267000.00	(दो लाख सरसठ हजार रूपये) मात्र
38	शेखपुरा	171810.00	35190.00	207000.00	(दो लाख सात हजार रूपये) मात्र
कुल राशि		17900000.00	3663000.00	21563000.00	(दो करोड़ पन्द्रह लाख तिरेसठ हजार रूपये) मात्र

विवरणी-II

वित्तीय वर्ष 2020-21 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायत समिति (पंचायत समिति प्रमुख/उप-प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001970103 के विषय शीर्ष-0103. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890105 के विषय शीर्ष-0105. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1	बक्सर	1708140.00	349860.00	2058000.00	(बीस लाख अठावन हजार रुपये) मात्र
2	रोहतास	2873460.00	588540.00	3462000.00	(चौतीस लाख बासठ हजार रुपये) मात्र
3	भोजपुर	2450160.00	501840.00	2952000.00	(उत्तरसठ लाख चार हजार रुपये) मात्र
4	नालन्दा	2997960.00	614040.00	3612000.00	(छत्तीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र
5	पटना	4427220.00	906780.00	5334000.00	(तिरपन लाख चौतीस हजार रुपये) मात्र
6	कैमूर	1638420.00	335580.00	1974000.00	(उन्नीस लाख चौहत्तर हजार रुपये) मात्र
7	गया	3839580.00	786420.00	4626000.00	(छियालीस लाख छब्बीस हजार रुपये) मात्र
8	नवादा	2171280.00	444720.00	2616000.00	(छब्बीस लाख सोलह हजार रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	2131440.00	436560.00	2568000.00	(छब्बीस लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	1090620.00	223380.00	1314000.00	(तेरह लाख चौदह हजार रुपये) मात्र
11	अरवल	761940.00	156060.00	918000.00	(नौ लाख अठारह हजार रुपये) मात्र
12	सारण	3610500.00	739500.00	4350000.00	(तीतालीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र
13	सिवान	3082620.00	631380.00	3714000.00	(सैतीस लाख चौदह हजार रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	2499960.00	512040.00	3012000.00	(तीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	3670260.00	751740.00	4422000.00	(चौवालीस लाख बाईस हजार रुपये) मात्र
16	वैशाली	3002940.00	615060.00	3618000.00	(छत्तीस लाख अठारह हजार रुपये) मात्र

क्र०	जिला	पंचायत समितियों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001970103 के विषय शीर्ष-0103. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890105 के विषय शीर्ष-0105. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
17	पू० चम्पारण	4372440.00	895560.00	5268000.00	(बावन लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र
18	प० चम्पारण	3246960.00	665040.00	3912000.00	(उन्चालीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	3012900.00	617100.00	3630000.00	(छत्तीस लाख तीस हजार रुपये) मात्र
20	शिवहर	682260.00	139740.00	822000.00	(आठ लाख बाईस हजार रुपये) मात्र
21	भागलपुर	2599560.00	532440.00	3132000.00	(एकतीस लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र
22	बांका	1957140.00	400860.00	2358000.00	(तेईस लाख अठावन हजार रुपये) मात्र
23	मधुबनी	4123440.00	844560.00	4968000.00	(उनचास लाख अड़सठ हजार रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	3894360.00	797640.00	4692000.00	(छियालीस लाख बानवे हजार रुपये) मात्र
25	दरभंगा	3421260.00	700740.00	4122000.00	(एकतालीस लाख बाईस हजार रुपये) मात्र
26	सहरसा	1673280.00	342720.00	2016000.00	(बीस लाख सोलह हजार रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	1962120.00	401880.00	2364000.00	(तेईस लाख सौसठ हजार रुपये) मात्र
28	सुपौल	1982040.00	405960.00	2388000.00	(तेईस लाख अठासी हजार रुपये) मात्र
29	पूर्णियाँ	2604540.00	533460.00	3138000.00	(एकतीस लाख अड़तीस हजार रुपये) मात्र
30	अररिया	2091600.00	428400.00	2520000.00	(पच्चीस लाख बीस हजार रुपये) मात्र
31	किशनगंज	1329660.00	272340.00	1602000.00	(सोलह लाख दो हजार रुपये) मात्र
32	कटिहार	2669280.00	546720.00	3216000.00	(बत्तीस लाख सोलह हजार रुपये) मात्र
33	मुंगेर	1259940.00	258060.00	1518000.00	(पन्द्रह लाख अठारह हजार रुपये) मात्र
34	जमुई	1608540.00	329460.00	1938000.00	(उन्नीस लाख अड़तीस हजार रुपये) मात्र
35	बेगुसराय	2803740.00	574260.00	3378000.00	(तेतीस लाख अठहत्तर हजार रुपये) मात्र
36	जगड़िया	1374480.00	281520.00	1656000.00	(सोलह लाख छप्पन हजार रुपये) मात्र
37	लखीसराय	1015920.00	208080.00	1224000.00	(बारह लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र
38	शेखपुरा	737040.00	150960.00	888000.00	(आठ लाख अठासी हजार रुपये) मात्र
कुल राशि		92379000.00	18921000.00	111300000.00	(ग्यारह करोड़ तेरह लाख रुपये) मात्र

विवरणी-III

वित्तीय वर्ष 2020-21 में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को जिले की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के मुखिया/उप-मुखिया/ग्राम पंचायत सदस्य हेतु) को बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980105 के विषय शीर्ष-0105. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890103 के विषय शीर्ष-0103. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1	बक्सर	7193112.00	1473288.00	8666400.00	(छियासी लाख छियासठ हजार आठ सौ रुपये) मात्र
2	रोहतास	11624316.00	2380884.00	14005200.00	(एक करोड़ चालीस लाख पाँच हजार दो सौ रुपये) मात्र
3	भोजपुर	12099408.00	2478192.00	14577600.00	(एक करोड़ पैतालीस लाख सत्तर हजार छः सौ रुपये) मात्र
4	नालन्दा	12299604.00	2519196.00	14818800.00	(एक करोड़ अड़तालीस लाख अठारह हजार आठ सौ रुपये) मात्र
5	पटना	20034374.00	4103426.00	24137800.00	(दो करोड़ एकतालीस लाख सैंतेस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
6	कैमूर	6983454.00	1430346.00	8413800.00	(चौरासी लाख तेरह हजार आठ सौ रुपये) मात्र
7	गया	16677522.00	3415878.00	20093400.00	(दो करोड़ तिरानबे हजार चार सौ रुपये) मात्र
8	नवादा	9272262.00	1899138.00	11171400.00	(एक करोड़ ग्यारह लाख एकहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	10315074.00	2112726.00	12427800.00	(एक करोड़ चौबीस लाख सत्ताईस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	4654308.00	953292.00	5607600.00	(छप्पन लाख सात हजार छः सौ रुपये) मात्र
11	अरवल	3194670.00	654330.00	3849000.00	(अड़तीस लाख उन्चास हजार रुपये) मात्र
12	सारण	16551528.00	3390072.00	19941600.00	(एक करोड़ निन्यानबे लाख एकतालीस हजार छः सौ रुपये) मात्र
13	सिवान	14843388.00	3040212.00	17883600.00	(एक करोड़ अठहत्तर लाख तेरारो हजार छः सौ रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	11639754.00	2384046.00	14023800.00	(एक करोड़ चालीस लाख तेईस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	19309950.00	3955050.00	23265000.00	(दो करोड़ बत्तीस लाख पैसठ हजार रुपये) मात्र
16	वैशाली	14489808.00	2967792.00	17457600.00	(एक करोड़ चौहत्तर लाख सत्तान्न हजार छः सौ रुपये) मात्र

क्र०	जिला	ग्राम पंचायतों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980105 के विषय शीर्ष-0105. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890103 के विषय शीर्ष-0103. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
17	पू० चम्पारण	20487720.00	4196280.00	24684000.00	(दो करोड़ छियालीस लाख चौरासी हजार रुपये) मात्र
18	प० चम्पारण	15470370.00	3168630.00	18639000.00	(एक करोड़ छियासी लाख उन्चालीस हजार रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	13902168.00	2847432.00	16749600.00	(एक करोड़ सड़सठ लाख उन्चास हजार छः सौ रुपये) मात्र
20	शिवहर	2704638.00	553962.00	3258600.00	(बत्तीस लाख अठावन हजार छः सौ रुपये) मात्र
21	भागलपुर	11640252.00	2384148.00	14024400.00	(एक करोड़ चालीस लाख चौबीस हजार चार सौ रुपये) मात्र
22	बांका	9123360.00	1868640.00	10992000.00	(एक करोड़ नौ लाख बानबे हजार रुपये) मात्र
23	मधुबनी	20113224.00	4119576.00	24232800.00	(दो करोड़ बेयालीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	19049496.00	3901704.00	22951200.00	(दो करोड़ उनतीस लाख इक्यावन हजार दो सौ रुपये) मात्र
25	दरभंगा	16350834.00	3348966.00	19699800.00	(एक करोड़ छियानबे लाख निन्यानबे हजार आठ सौ रुपये) मात्र
26	सहरसा	7570596.00	1550604.00	9121200.00	(इक्यानबे लाख इक्कीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	8291700.00	1698300.00	9990000.00	(निन्यानबे लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र
28	सुपौल	9181626.00	1880574.00	11062200.00	(एक करोड़ दस लाख बासठ हजार दो सौ रुपये) मात्र
29	पूर्णियाँ	12271716.00	2513484.00	14785200.00	(एक करोड़ सैतालीस लाख पचासी हजार दो सौ रुपये) मात्र
30	अररिया	10924128.00	2237472.00	13161600.00	(एक करोड़ एकतीस लाख एकसठ हजार छः सौ रुपये) मात्र
31	किशनगंज	6412746.00	1313454.00	7726200.00	(सतहत्तर लाख छब्बीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
32	कटिहार	11920128.00	2441472.00	14361600.00	(एक करोड़ तेतालीस लाख एकसठ हजार छः सौ रुपये) मात्र
33	मुंगेर	5010876.00	1026324.00	6037200.00	(साठ लाख सैतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
34	जमुई	7326078.00	1500522.00	8826600.00	(अठासी लाख छब्बीस हजार छः सौ रुपये) मात्र
35	बेगुसराय	11826504.00	2422296.00	14248800.00	(एक करोड़ बेयालीस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
36	खगड़िया	6684654.00	1369146.00	8053800.00	(अस्सी लाख तिरपन हजार आठ सौ रुपये) मात्र
37	लखीसराय	4051230.00	829770.00	4881000.00	(अड़तालीस लाख एकासी हजार रुपये) मात्र
38	शेखपुरा	2633424.00	539376.00	3172800.00	(एकतीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र
कुल राशि		424130000.00	86870000.00	511000000.00	(एकावन करोड़ दस लाख हजार रुपये) मात्र

विवरणी-IV

वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिले के ग्राम कचहरी (ग्राम कचहरी के सरपंच/उप-सरपंच/पंच) के लिए बकाया आवंटित राशि का विवरण।

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980106 के विषय शीर्ष-0106. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890104 के विषय शीर्ष-0104. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
1	2	3	4	5	
1	बक्सर	7193112.00	1473288.00	8666400.00	(छियासी लाख छियासठ हजार ार सौ रुपये) मात्र
2	रोहतास	11624316.00	2380884.00	14005200.00	(एक करोड़ चालीस लाख पाँच हजार दो सौ रुपये) मात्र
3	भोजपुर	12099408.00	2478192.00	14577600.00	(एक करोड़ पैतालीस लाख सतत्तर हजार छः सौ रुपये) मात्र
4	नालन्दा	12299604.00	2519196.00	14818800.00	(एक करोड़ अड़तालीस लाख आरह हजार आठ सौ रुपये) मात्र
5	पटना	20034374.00	4103426.00	24137800.00	(दो करोड़ एकतालीस लाख सैतस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
6	कैमूर	6983454.00	1430346.00	8413800.00	(चौरासी लाख तेरह हजार आठसौ रुपये) मात्र
7	गया	16677522.00	3415878.00	20093400.00	(दो करोड़ तिरानबे हजार चार सौ रुपये) मात्र
8	नवादा	9272262.00	1899138.00	11171400.00	(एक करोड़ ग्यारह लाख एकहत्तर हजार चार सौ रुपये) मात्र
9	औरंगाबाद	10315074.00	2112726.00	12427800.00	(एक करोड़ चौबीस लाख सत्ताईस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
10	जहानाबाद	4654308.00	953292.00	5607600.00	(छप्पन लाख सात हजार छः सौरुपये) मात्र
11	अरवल	3194670.00	654330.00	3849000.00	(अड़तीस लाख उन्चास हजार रुपये) मात्र
12	सारण	16551528.00	3390072.00	19941600.00	(एक करोड़ निन्यानबे लाख एकतालीस हजार छः सौ रुपये) मात्र
13	सिवान	14843388.00	3040212.00	17883600.00	(एक करोड़ अठहत्तर लाख तेरास हजार छः सौ रुपये) मात्र
14	गोपालगंज	11639754.00	2384046.00	14023800.00	(एक करोड़ चालीस लाख तेईसहजार आठ सौ रुपये) मात्र
15	मुजफ्फरपुर	19309550.00	3955050.00	23265000.00	(दो करोड़ बत्तीस लाख पैसठ हजार रुपये) मात्र
16	वैशाली	14489808.00	2967792.00	17457600.00	(एक करोड़ चौहत्तर लाख सत्तान हजार छः सौ रुपये) मात्र

क्र०	जिला	ग्राम कचहरियों के लिए		कुल राशि (रुपये में) (3+4)	
		सामान्य घटक बजट कोड 16-2515001980106 के वेषय शीर्ष-0106. 1.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	अनुसूचित जाति घटक बजट कोड 16-2515007890104 के विषय शीर्ष-0104. 31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन		
17	पू० चम्पारण	20487720.00	4196280.00	24684000.00	(दो करोड़ छियालीस लाख चौरासी हजार रुपये) मात्र
18	प० चम्पारण	15470370.00	3168630.00	18639000.00	(एक करोड़ छियासी लाख उन्वालीस हजार रुपये) मात्र
19	सीतामढ़ी	13902168.00	2847432.00	16749600.00	(एक करोड़ सड़सठ लाख उन्चास हजार छः सौ रुपये) मात्र
20	शिवहर	2704638.00	553962.00	3258600.00	(बत्तीस लाख अठावन हजार छः सौ रुपये) मात्र
21	भागलपुर	11640252.00	2384148.00	14024400.00	(एक करोड़ चालीस लाख चौबीस हजार चार सौ रुपये) मात्र
22	बांका	9123360.00	1868640.00	10992000.00	(एक करोड़ नौ लाख बानबे हजार रुपये) मात्र
23	मधुबनी	20113224.00	4119576.00	24232800.00	(दो करोड़ बेयालीस लाख बत्तीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
24	समस्तीपुर	19049496.00	3901704.00	22951200.00	(दो करोड़ उनतीस लाख इक्यावन हजार दो सौ रुपये) मात्र
25	दरभंगा	16350834.00	3348966.00	19699800.00	(एक करोड़ छियानबे लाख निन्यानबे हजार आठ सौ रुपये) मात्र
26	सहरसा	7570596.00	1550604.00	9121200.00	(इक्यानबे लाख इक्कीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
27	मधेपुरा	8291700.00	1698300.00	9990000.00	(निन्यानबे लाख नब्बे हजार रुपये) मात्र
28	सुपौल	9181626.00	1880574.00	11062200.00	(एक करोड़ दस लाख बासठ हजार दो सौ रुपये) मात्र
29	पूर्णियाँ	12271716.00	2513484.00	14785200.00	(एक करोड़ सैतालीस लाख पचासी हजार दो सौ रुपये) मात्र
30	अररिया	10924128.00	2237472.00	13161600.00	(एक करोड़ एकतीस लाख एकसठ हजार छः सौ रुपये) मात्र
31	किशनगंज	6412746.00	1313454.00	7726200.00	(सतहत्तर लाख छब्बीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
32	कटिहार	11920128.00	2441472.00	14361600.00	(एक करोड़ तेतालीस लाख एकसठ हजार छः सौ रुपये) मात्र
33	मुंगेर	5010876.00	1026324.00	6037200.00	(साठ लाख सैतीस हजार दो सौ रुपये) मात्र
34	जमुई	7326078.00	1500522.00	8826600.00	(अठासी लाख छब्बीस हजार छः सौ रुपये) मात्र
35	बेगुसराय	11826504.00	2422296.00	14248800.00	(एक करोड़ बेयालीस लाख अड़तालीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र
36	खगड़िया	6681654.00	1369146.00	8053800.00	(अस्सी लाख तिरपन हजार आठ सौ रुपये) मात्र
37	लखीसराय	4051230.00	829770.00	4881000.00	(अड़तालीस लाख एकासी हजार रुपये) मात्र
38	शेखपुरा	2633424.00	539376.00	3172800.00	(एकतीस लाख बहत्तर हजार आठ सौ रुपये) मात्र
	कुल राशि	424130000.00	86870000.00	511000000.00	(एकान करोड़ दस लाख रुपये) मात्र